मणिपुर विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में माननीय स्पीकर महोदय का सम्बोधन

---

1. संसद परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आज संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान **(**प्राइड**)** द्वारा आयोजित इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भारत के अनूठे प्रदेश मणिपुर की विधान सभा के नवनिर्वाचित विधायकगणों के साथ यह भेंट और प्रबोधन कार्यक्रम अत्यंत सुखद है।

2. आप लोग उस महान भूमि से आए हैं**,** जिसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। मणिपुर को मणियों की भूमि भी कहा जाता है। यह भारत का वह प्रदेश है जो सुंदर है**,** शांत है और प्रकृति के उपहार से सजा है।

3. मणिपुर असीम संभावनाओं की भूमि है। समृद्ध संस्कृति**,** परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की भूमि है।

4. माननीय विधायकगण**,** सबसे पहले मैं मणिपुर की **12**वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप में से **21** सदस्य नवनिर्वाचित हैं। शेष सदस्यों के पास पूर्व विधायी अनुभव है।

5. आपको मणिपुर की जनता का स्नेहपूर्ण जनादेश मिला है। अब यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता विशेषकर समाज के कमजोर तबकों के लोगों की सामाजिक**-**आर्थिक प्रगति के लिए यथासंभव प्रयास करें। आप प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं**,** उनकी उम्मीदों को साकार करें**,** मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ।

6. वर्ष **1972** में मणिपुर में पहली विधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। आपकी विधानसभा ने **50** सफ़ल वर्ष पूरे किए हैं। मैं आपको मणिपुर राज्य विधान मण्डल के **50** वर्ष पूरे होने पर भी बहुत**-**बहुत बधाई देता हूँ।

7. साथियो**,** अगर हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मणिपुर भारत का एक छोटा सा प्रदेश है**,** लेकिन देश के विकास में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। मणिपुर दक्षिण**-**पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

8. बीते **50** वर्षों में मणिपुर विधान सभा ने अपनी रीति और आचरण से देश की विधायी परंपरा को मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। अनेक जनहितकारी फैसलों और साझा सहमतियों से आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का काम इन वर्षों में मणिपुर विधान सभा द्वारा किए गए हैं। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ।

9. प्रिय साथियो, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश का शासन चलाने के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को चुना था।

10. देश की आज़ादी के समय दुनिया भर के राजनीतिज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाएगा। मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के मूल में थी। परस्पर सहयोग और सहमति से काम करना यहाँ लोगों के व्यवहार का हिस्सा रहा है।

11. आज़ादी के बाद के इन **75** सालों में हमने अपने व्यवहार–विचार से दुनिया भर के सामने यह साबित कर दिया कि हमारी शासन पद्धति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आज दुनिया भी मानती है कि लोकतांत्रिक विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है।

12. हम ऐसे मानक प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र फॉलो करें तथा भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा, इसका मान और अधिक बढ़ें।

13. इसके लिए सबसे ज़रूरी विषय जो हमें ध्यान में रखना है, वो है सदन में हमारा आचरण। सदन में हम जनप्रतिनिधियों का आचरण सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है।

14. वर्ल्ड मीडिया में भी इसकी रिपोर्टिंग होती है। इन वर्षों में हमारे संसदीय दल ने यूएई, वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर सहित कई देशों की यात्रा की है। कई देशों के स्पीकर और डेलीगेशन भी भारत आए हैं। इन यात्राओं के दौरान अन्य देश भारत की संसदीय परंपराओं को लेकर उत्सुक रहे हैं, उन्होंने हमसे सीखा है।

15. इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शासन के निचले स्तरों, जैसे विकास परिषदों, पंचायतों, नगर-निकायों के प्रतिनिधि सदन पर भी हम जनप्रतिनिधियों के आचरण-अनुशासन का गहरा प्रभाव पड़ता है।

16. जनता में भी सीधा संदेश जाता है। जनता को भरोसा होता है कि उनके जनप्रतिनिधि सदन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सदन में अनुशासन और मर्यादा हमारे व्यवहार का अनिवार्य अंग होना चाहिए।

17. इसी के साथ मेरा मानना है कि हमें विधि निर्माण करते समय उसमें सभी पक्षों, सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जब सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति से कानून का निर्माण होता है, तभी लोकतंत्र अधिक स्वस्थ एवं पुष्ट होता है।

18. यदि हम महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कानून बनाए, तो ज़रूरी है कि उस पर चर्चा-संवाद में महिलाओं की प्रमुख भागीदारी हो।

19. इसी तरह अगर हम रोजगार, खेल या शिक्षा पर विधान निर्माण करें तो उसमें ज़रूरी है कि युवाओं का पक्ष जाना जाए।

20. हम जो भी कानून बनाएं, तो उसमें उस जनता और उस वर्ग का पक्ष ज़रूर जाना जाना चाहिए, जिनके लिए कानून का निर्माण हो रहा है।

21. जनप्रतिनिधि इसके लिए एक और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सदन में जब कोई प्रस्ताव लाया जाए, तो हम अपने-अपने स्तर पर अपने क्षेत्रवासियों से उस पर संवाद करें।

22. क्षेत्र के लोगों से उस बिल के ड्राफ्ट या प्रस्ताव पर राय जानें। इस तरह एक विधायक किसी बिल पर अपने क्षेत्र के हज़ार लोगों की राय भी जान लेते हैं तो आपके सदन में **60** विधायकों के माध्यम से **60** हज़ार से अधिक लोगों की बात सीधे तौर पर पहुँच जाती है। आप सोचकर देखिए कि इस तरह से जब कानून का निर्माण होगा तो कितने बेहतर कानून का निर्माण होगा**!**

23. सदन के अंदर नियम प्रक्रियाओं में प्रावधान है कि आप जनहित के विषय सदन में प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। आप इन नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन करें, संविधान का अध्ययन करें, इससे आप एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में अपना कार्य कर पाएंगे। आप अपने सदन के पूर्व के वाद-विवाद का भी अध्ययन करें ताकि राज्य की विविध विषयों पर आपकी जानकारी और समृद्ध हो।

24. जनता को विधायिका से जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बहुत कारगर हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस वर्ष केन्द्रीय बजट पारित होने के बाद से हमारे माननीय प्रधान मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में बजट के हितधारकों यानि स्टेकहोल्डर्स से संवाद कर रहे हैं।

25. बजट वेबिनार तकनीक के द्वारा सभी से संवाद किया जा रहा है। ये आमजन को लोकतंत्र में बराबर का भागीदार बनाने का अच्छा तरीका है।

26. साथियो, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज डिजिटल और ऑनलाइन तकनीकी का दौर है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी विधायिका भी बदलती दुनिया के साथ अपडेट रहे।

27. मणिपुर की विधान सभा ने कौन-सा बिल पास किया, किन विषयों पर चर्चा की, बजट में क्या-क्या प्रावधान किए**?** इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जनता को जितनी सुगमता से दे सकेंगे, आमजन का लोकतंत्र पर भरोसा उतना ही मजबूत होगा।

28. लोगों को सरल और सुगम व्यवस्था देने की प्रमुख ज़िम्मेदारी विधायिका की होती है। संसद ने पहल करके इन वर्षों में कई छोटे-मोटे गैर-ज़रूरी कानून निरस्त किए हैं, ताकि लोगों को आसानी हो।

29. मैं राज्य विधान सभाओं से भी आग्रह करूंगा कि वे भी अनावश्यक नियम-कानूनों को खत्म कर जनता के लिए सिम्पल सिस्टम बनाने की दिशा में काम करें। आम नागरिकों को परेशान करने वाले बैरियर्स हटाने के लिए काम करें।

30. प्रिय साथियो, आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 'एक देश-एक विधायी प्लेटफॉर्म' अर्थात् **E-Vidhan** की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

31. इसके तहत पूरे देश के विधान मंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है। यह एक ऐसा पोर्टल होगा, जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करेगा, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को परस्पर जोड़ने का कार्य भी करेगा।

32. हमारी विधायी व्यवस्था को डिजिटल और समरूप करने की दिशा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी एक उत्कृष्ट पहल है। वर्तमान में देश के करीब **20** प्रदेशों में यह व्यवस्था काम कर रही है।

33. मैं देख रहा हूँ कि मणिपुर विधान सभा में युवा और अनुभवी विधायकों का मिश्रण है। युवा और पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को चाहिए कि वे सदन के अनुभवी और वरिष्ठ विधायकों से उनके अनुभव का लाभ लें। नियम-कानून निर्माण की बारीकियाँ उनसे समझें। सदन का किस तरह जनता के हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए वरिष्ठ विधायक नए विधायकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

34. इसी के साथ, आज जो तकनीकी विषय होते हैं, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं, उनको युवा पीढ़ी ज़्यादा अच्छे से समझती है। ऐसे विषयों पर युवा विधायक वरिष्ठ विधायकों की हेल्प कर सकते हैं।

35. जनता और जनप्रतिनिधियों में डिजिटल लिटरेसी जितनी अधिक होगी, शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और आमजन का संबंध उतना ही घनिष्ठ और पारदर्शी संबंध होगा।

36. मित्रों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने प्रगति की नई दिशा तय की है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में रोड ट्रांसपोर्ट, संचार, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में कामकाज हुआ है। आज पूर्वोत्तर भारत, शेष भारत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है। लोगों में शासन के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। इन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास की सहभागिता को गति मिली है। लोकतंत्र के प्रति लोग अधिक आस्थावान हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संवाद में बढ़ोतरी हुई है तथा यहाँ स्थायी शांति के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।

37. आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता को जितना अधिक जोड़ेंगे, उग्रवाद का प्रभाव उतना ही कम होगा।

38. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना काफ़ी हद तक इस दिशा में प्रभावी रही है। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बाँस मिशन और जल जीवन मिशन भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह विधान निर्माताओं के प्रयास और इच्छाशक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

39. सामान्यतः ये आम धारणा रही है कि संस्कृति और विकास एक दूसरे के सहयोगी नहीं हो सकते, मगर मेरा मानना है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए ना तो हम विकास से समझौता कर सकते हैं और ना ही यहाँ की अद्भुत संस्कृति से। हमें विकास और संस्कृति दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। ग्लोबलाइजेशन के साथ ही लोकलाइजेशन की महत्ता समझनी होगी। हमें संस्कृति के मध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा।

40. आज़ादी के बाद के इन **75** वर्षों में केंद्र और राज्यों ने अपने संयुक्त प्रयासों से लंबा रास्ता तय किया है। हमारी केन्द्रीय और राज्य विधायिकाओं ने समय के साथ-साथ अपने आप को बदला है।

41. आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब मैं कहूँगा कि अभी हमें मीलों का सफर और करना है। विकास को हर क्षेत्र में कुछ लोगों की बजाय शत प्रतिशत लोगों तक लेकर जाना है। जो सुधार अभी बाकी रह गए हैं, उन्हें सम्पूर्ण बनाने की दिशा में हमें सामूहिकता के साथ काम करना है।

42. मणिपुर विधानसभा के आप निष्ठावान विधायक पूरी क्षमता से प्रदेश और देश के लिए काम करें। जो लाखों लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों को पूरा करें। मैं इसके लिए आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूँ।

43. मैं आशा करता हूँ कि मणिपुर विधानसभा अनुशासन और परस्पर सहभागिता के साथ कार्य करते हुए देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगी। वंचित और आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसके लिए आपको अनेक शुभकामनाएं। आपके साथ यह कार्यक्रम मेरे लिए बड़ा सुखद रहा।

धन्यवाद। जय हिन्द।